न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु०नं 20/18 तारीख रजू 9.5.18

उनवान – बालकिशन बनाम रामबक्स मीना ग्रा० सांकरवाड़ा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा०का०

प्रार्थी की ओर से श्रीराम मेरोसी गुप्ता एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत जमाबन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस सुनी गयी। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणो को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम सांकरवाड़ा की भूमि ख.नं. 430/533 रकबा 0.15 है., 434 रकबा 0.97 है, 435 रकबा 0.01 है., 436 रकबा 1.36 है. 414 रकबा 0.01 है. 415 रकबा 0.01 है., 416 रकबा 0.02 है., 417 रकबा 2.11 है, 434/570 रकबा 0.19 है. भूमि की आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक 9.7.18 को पेश हो।

1654-62
9.5.18

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

9.7.18

प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 1 ता 6, 8, 9 बावजूद सूचना उप० नहीं। अप्रार्थी [illegible] तामील जाब [illegible] P.O. [illegible] की [illegible] 30.7.18 को पेश हो। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:54:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
27.09.19	वकील अप्रपक्ष उपस्थित। वकील अप्रपक्ष ने अपनी बहस मे कथन किया था कि इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं मूल दावा मे वर्णित आराजीयात के संबंध में एक अपील माननीय राजस्व मंडल राज० अजमेर में विचाराधीन है तथा उस अपील मे स्थगन आदेश है। अपील में अभी निर्णय पारित किया जाना है। अपील विचाराधीन होने से इन्ही खसरा नम्बरान के बाबत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा इसलिए मूल दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिये जावे। वकील अप्रपक्ष की बहस सुनकर पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित आराजीयात के बाबत माननीय राजस्व मंडल राज० अजमेर में अपील संख्या 2018/4070 विचाराधीन है। तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए स्थगन आदेश है। न्यायालय उप जिला कलक्टर अधिनस्थ न्यायालय है राजस्व न्यायालयों का राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर उच्चतर न्यायालय है। विवादित आराजीयात के बाबत प्रकरण माननीय [illegible] राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर उच्चतर [illegible] में अपील विचाराधीन होने [illegible] न्यायालय द्वारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:54:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
	कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं पाता हूं। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:54:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner